10-1-18 आज P.O. मा. म. स्थानान्तरण होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 15-2-18 को पेश हो।

15-2-18 आज P.O. मा. म. स्थानान्तरण होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 23-3-18 को पेश हो।

23-3-18 आज P.O. मा. ग्राम सेवा/प्रशिक्षण होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 27-4-18 को पेश हो।

27/4/18 आज PO साहब अवकाश पर होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 6/7/18 को पेश हो।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

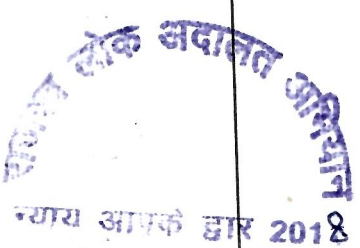

8-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम सेवा केन्द्र-चान्दराना में पेश हुई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद आधिपत्य से सम्बन्धित है।

(1) प्रबन्ध/कब्जा कौन! — प्रार्थीगण का साबिक रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा का हाल रकबा 15.49 है० कायम किया गया है। जो लगभग 0.39 है० भूमि कुप्रबन्ध किस्म के द्वारा कम कर दिया व अप्रार्थीगण के खाते में कायम कर जाकर उनका रकबा साबिक से अधिक कर दिया जाने से यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

गोकुल पुत्र श्री सियाराम शर्मा (8)

[illegible] (7)

[illegible] (6)

[illegible] (9)

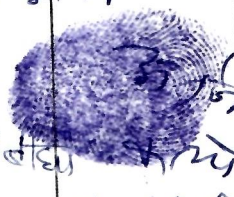

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्याय आपके द्वार 2018

(ii) सुविधा का संतुलन :- यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीगण के पक्ष पाया जाता है क्योंकि [illegible] भूमि प्रार्थीगण की [illegible] की भूमि है परन्तु रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम अंकित हो गई है।

(iii) अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम अंकित हो जाने से, अप्रार्थीगण के द्वारा इस भूमि को रहन, बेचान व हस्तान्तरण करने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होने से यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम [illegible] तहसील [illegible] स्थित वादग्रस्त भूमि ख.नं. 17, 18, 19, 171, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 एवं 366 कुल रकबा 5.06 है० भूमि का रहन, बेचान, एवं हस्तान्तरण मूल वाद के निस्तारण तक नहीं करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण में [illegible] तथा बाद तामील पत्रावली [illegible] मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय राजस्व लोक अदालत [illegible] के समक्ष खुले आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

[signature] 6.5.18
आर.ए.एस. कलक्टर
टोंक

Reader
28/10/18